(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 15.03.2022

संकल्प

संख्या ई-14011/1/2019-रा.भा.नी.: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20015/6/92 रा.भा. (क-2), दिनांक 10 जून, 1992 के अनुसरण में तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ई-14011/1/2017-रा.भा.नी. दिनांक 04.10.2017 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि निम्नानुसार होंगे:-

गठन

श्रम और रोजगार मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

1.	श्री दुष्यंत गौतम, संसद सदस्य (राज्य सभा) फ्लैट नम्बर 401, स्वर्ण जयंती सदन डीलक्स, डा. बिशम्बरदास मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
2.	श्री श्रीमंत छ. उदयनराजे भोंसले, संसद सदस्य (राज्य सभा) जलमंदिर पैलेस, सतारा, महाराष्ट्र	सदस्य
3.	श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य (लोक सभा) शेट्टी हाउस, लोकमान्य तिलक नगर, पोईसार, जिमखाना मार्ग कांदीवली, वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र-400067	सदस्य
4.	श्री अशोक कुमार यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) गांव व पोस्ट- बिजुली, पी.एस. सदर जिला दरभंगा, बिहार	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

5.	डॉ. अमी याज्ञिक, संसद सदस्य (राज्य सभा) 6,एडीसी बैंक, सहजानंद कॉलेज के पीछे, अंबाबाड़ी, अहमदाबाद-380015	सदस्य

6. सुश्री सरोज पाण्डेय, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
1/ए स्ट्रीट, 7/बी, फेज-I, मैत्री नगर, रिसाली,
भिलाई, छत्तीसगढ़

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

7. श्री पंकज दीवान — सदस्य
3/10, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

8. डॉ. कुसुमाकर पाण्डेय, प्रतिनिधि, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी — सदस्य
ए-16, अरूणा आसफ अली रोड,
कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-67

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नामित

9. श्री शिवानंद द्विवेदी — सदस्य
गांव व डाकखाना-सजॉव, जिला- देवरिया
उत्तर प्रदेश

10. श्री अनंत विजय — सदस्य
आरटी-222, रॉयल टावर, शिप्रा सन सिटी,
इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014

11. श्री शिव प्रकाश मित्तल — सदस्य
बी-114, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, मुख्य पुष्कर रोड, अजमेर-305004

12. श्री अरविन्द कुमार सिंह — सदस्य
एल-1/6, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना-800001

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

13. डा. जयप्रकाश शाक्य — सदस्य
111, हनुमान मंदिर के पीछे, बजरंग कॉलोनी
छत्तरपुर, मध्य प्रदेश

14. प्रो. (डा.) मुकेश कुमार अरोड़ा — सदस्य
35,जीएफ, निर्मल छाया अपार्टमेंट्स,
ब्लॉक-सी, ऋषि नगर, लुधियाना, पंजाब-141001

15. डा. दीपिका विजयवर्गीय — सदस्य
99, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड,
गुर्जर की ठाड़ी, जयपुर, राजस्थान-302019

<u>सरकारी सदस्य</u>

16.	सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
17.	विशेष सचिव/अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
18.	प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
19.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
20.	सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
22.	महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
23.	महानिदेशक (रोजगार), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
24.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
25.	महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई	सदस्य
26.	महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	सदस्य
27.	महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद	सदस्य
28.	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	सदस्य
29.	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला/ चंडीगढ़	सदस्य
30.	महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
31.	महानिदेशक, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	सदस्य
32.	उप-महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. कार्य:

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल:

इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से सामान्यत: तीन वर्ष तक होगा। संसद सदस्य, जो इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। समिति के पदेन सदस्य उस समय तक समिति के सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं, जिनके कारण वे समिति के सदस्य बने। समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा। विशेष परिस्थितियों में, इस समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. मुख्यालय:

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. **यात्रा तथा अन्य भत्ते:**

यह समिति उच्च स्तरीय होगी तथा इसके उच्चस्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/86-रा.भा. (क-2), में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित /निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति इस समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नागेश सिंह

(नागेश कुमार सिंह)
उप-महानिदेशक
दूरभाष: 011-23714820

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, हरियाणा।

अनुरोध है कि जिस राजपत्र में यह संकल्प प्रकाशित हो उसकी एक प्रति उप-निदेशक (रा.भा.), कमरा संख्या 124ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए।

संख्या ई-14011/1/2019- रा.भा.नी.   दिनांक: 15.03.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. समिति के सभी सदस्य
2. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
6. प्रधान मंत्री सचिवालय, नई दिल्ली
7. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
8. संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. नीति आयोग, नई दिल्ली
12. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
13. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली
14. संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली
15. सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली
16. वेतन एवं लेखा अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
17. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली
18. नागरीप्रचारिणी सभा, अरुणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली
19. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली
20. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत निकाय आदि
21. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारी, अनुभाग, डेस्क, एकक आदि
22. श्रम और रोजगार मंत्री जी के निजी सचिव
23. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के निजी सचिव
24. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के प्रधान निजी सचिव
25. श्रम और रोजगार मंत्रालय के विशेष सचिव /अपर सचिव के निजी सचिव
26. श्रम और रोजगार मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव
27. श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार के निजी सचिव
28. श्रम और रोजगार मंत्रालय के उप-महानिदेशक के निजी सचिव
29. निदेशक (आईटी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस संकल्प को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(निकोलस खलखो)
उप-निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-23324141